न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
17/2018/प्रा.पत्र/2018	14.02.2018	14.02.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री सीताराम विजय पुत्र रामसहाय विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 6 घोषी मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0
2— मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0
3— श्री गौतम लाल टाक निवासी कुम्हारो का मौहल्ला मेडता नागौर डायरेक्टर मैसर्स जगदम्बा वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 ई—31 इण्डस्ट्रीज एरिया मेडता सिटी राज0
4— मैसर्स जगदम्बा वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 ई—31 इण्डस्ट्रीज एरिया मेडता सिटी राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:—निर्णय—: **दिनांक 14.02.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2017 को समय 12.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री सीताराम विजय पुत्र रामसहाय विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 6 घोषी मोंहल्ला देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **रिफाइंड मूंगफली तेल सुपर पोस्टमैन टिन पैक(Refined Ground Nut Oil Super Postaman Tin Pack)** जिसके बैच /लोट नं0 8 व पैकिंग दिनांक सितम्बर 2017 अंकित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री सीताराम विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सीताराम विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 15–15 किलोग्राम के 40 टिन पैक **रिफाइंड मूंगफली तेल सुपर पोस्टमैन टिन पैक**(Refined Ground Nut Oil Super Postaman Tin Pack) रखे हुये मे से 1600 ग्राम एक स्टील के जग मे वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सीताराम विजय को रू0 160/–अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड मूंगफली तेल सुपर पोस्टमैन टिन पैक**(Refined Ground Nut Oil Super Postaman Tin Pack) 1600 ग्राम को कांच की चार शिशियो मे बराबर–बराबर प्रत्येक शिशि मे 400–400 ग्राम को भरकर ढक्कन को अच्छी तरह से एयर टाईट बंद किया व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1783 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1783 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सीताराम विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खांध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री सीताराम विजय ने मौके पर **रिफाइंड मूंगफली तेल सुपर पोस्टमैन टिन पैक**(Refined Ground Nut Oil Super Postaman Tin Pack)बतोर वारन्टी मैसर्स जगदम्बा वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 ई–31 इण्डस्ट्रीज एरिया मेडता सिटी राज0का बिल/इन्वॉइस 19 दिनांक 21.08.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसींद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4790 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/769/एक्ट/2017/769 दिनांक 22.11.2017 अनुसार सीताराम विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफाइंड मूंगफली तेल सुपर पोस्टमैन टिन पैक**(Refined Ground Nut Oil Super

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

Postaman Tin Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **रिफाइंड मूंगफली तेल सुपर पोस्टमैन टिन पैक**(Refined Ground Nut Oil Super Postaman Tin Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड मूंगफली तेल सुपर पोस्टमैन टिन पैक**(Refined Ground Nut Oil Super Postaman Tin Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड मूंगफली तेल सुपर पोस्टमैन टिन पैक**(Refined Ground Nut Oil Super Postaman Tin Pack) का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री सीताराम विजय पुत्र रामसहाय विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 6 घोषी मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री गौतम लाल टाक निवासी कुम्हारो का मौहल्ला मेडता नागौर डायरेक्टर मैसर्स जगदम्बा वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 ई–31 इण्डस्ट्रीज एरिया मेडता सिटी राज0 पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.02.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: